न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या–01/2018–19

सुजान सिंह बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
01/11/18	**आदेश** यह अपील बकास्त/गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0 10बी0/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–08.11.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है। **अपीलार्थी का कहना है कि** (1) बिहटा अंचल अंतर्गत मौजा विशम्भरपुर थाना नं0 57 खाता नं0 138 खेसरा नं0 483 रकवा 75डी0 सर्वे खतियान में बकास्त इराजीदार बकब्जे बीलट सिंह दर्ज है। अपीलार्थी मध्यवर्ती बीलट सिंह के वंशज है। आपसी बंटवारा में प्रश्नगत भूखण्ड उन्हें हिस्से में मिला है, जिसकी जमाबंदी उनके नाम से कायम है तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है। (2) बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 103ए के अन्तर्गत वाद सं0 99/2005 में प्रश्नगत भूखण्ड पर अपीलार्थी के पिता का दावा घोषित किया गया है। (3) प्रश्नगत भूखण्ड का अर्जन बिहटा सैन्य हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड को रैयती घोषित करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में वाद दायर किया गया। वाद सं0 10बी/2017–18 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों को दर किनार करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी घोषित कर दिया गया। (4) वाद सं0 10बी/2017–18 में दिनांक–08.11.2017 को पारित आदेश को निरस्त करने तथा प्रश्नगत भूखण्ड को रैयती घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है। **राज्य सरकार की तरफ से सहायक सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि**	

(1) अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने रैयती दावा के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को उपलब्ध नहीं कराया गया। मात्र वर्ष 2005–06 की लगान रसीद पर अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर रैयती दावा किया जा रहा है, जो मान्य नहीं है।

(2) अपीलार्थी के द्वारा धारा 103ए के अन्तर्गत वाद सं0 99/05 में दिनांक–20.06.2005 के आदेश की प्रति दाखिल की गयी है जो खाता सं0 138 खेसरा सं0 483 रकवा 40डी0 के संबंध में है। नये सर्वे का अभी तक अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है, अतः धारा 103ए के अन्तर्गत पारित उक्त आदेश को मान्यता नहीं दी जा सकती।

(3) अपीलार्थी के द्वारा इस न्यायालय में भी अपने दावा के समर्थन में कोई ठोस कागजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। इस स्थिति में अपील रद्द करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के परिशीलन से इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलार्थी के द्वारा मात्र वर्ष 2005–06 की लगान रसीद के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड पर रैयती दावा किया जा रहा है। पर्याप्त साक्ष्य यथा खेवट, जमीन्दारी उन्मूलन के वर्ष से लगान रसीद आदि के अभाव में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अपीलार्थी का दावा अमान्य कर दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा इस न्यायालय में भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर उनका दावा प्रमाणित हो सके। अतः मेरा यह मत है कि वाद सं0 10बी0/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–08.11.2017 को पारित में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अस्वीकृत की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

1/11/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

1/11/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना